न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 27/2024 G.C.M.S. No. 2024/71 दर्ज दिनांक : 13.05.2024

अपीलार्थी:

1. रेखा पुत्री बाबूदान, उम्र 44 वर्ष, जाति चारण, निवासी गढ़वाड़ा, तहसील रोहट व जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. बाबूदान पुत्र बच्छदान, उम्र बालिग
2. होपदान पुत्र आईदान, उम्र बालिग, जातिगण चारण, निवासी गढ़वाड़ा, तहसील रोहट व जिला पाली।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रोहट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रोहट द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 37/2022 बअनवान शांतिदेवी के का.मु. रेखा बनाम बाबूदान में पारित आदेश दिनांक 13.10.2023 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार–

1. श्री दिनेश प्रजापत खींवसर, श्री महेन्द्रसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री दौलत मकवाणा, श्री भरत उपाध्याय, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट्स।

निर्णय

दिनांक: 19.12.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर रोहट द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 37/2022 बअनवान शांतिदेवी के का.मु. रेखा बनाम बाबूदान में पारित आदेश दिनांक 13.10.2023 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट/वादी रेखा व शांतिदेवी की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम का रेस्पोंडेण्ट्स/प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया तथा साथ में स्थगन प्रार्थना पत्र भी पेश किया, जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय ने दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया। प्रतिवादीगण की ओर से जरिये अधिवक्ता उपस्थिति दी गई। प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा पेश किया, इस दरम्यान वादीगण के अधिवक्ता की तबीयत खराब होने से वह अस्पताल में थें, इस दौरान दिनांक 23.03.2022 को वादीगण का दावा वादीगण की अदम हाजरी, अहम पैरवी में खारिज कर दिया, जिसकी जानकारी वादीगण को होने पर वाद को पुनः रेस्टोर करने के लिए आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय से खारिज कर दिया। जोकि विधिसम्मत नहीं हैं। चूंकि वाद विचारण के दौरान वादी संख्या 2 शांतिदेवी का दिनांक 05.11.2018 को स्वर्गवास हो गया, उसके विधिक वारिसान पहले से ही वादी रेखा देवी रेकर्ड पर थीं। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट द्वारा रेस्टोर हेतु प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट के अधिवक्ता श्री हनुमानप्रसाद गौड़ के पिता बाबुलालजी गौड़ की तबीयत सही नहीं होने के कारण डॉक्टर पवन सारड़ा को दिखाया, जांच में पता चला कि हार्ड ब्लॉकेज है, जिन्हें मथुरादास माथुर अस्पताल जोधपुर में भर्ती कराया एवं दो ब्लॉकेज होने के वजह से बाईपास सर्जरी करनी पड़ी, जिस कारण दिनांक 23.03.2022 को अपीलाण्ट के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाये। अपीलाण्ट के अधिवक्ता की अनुपस्थिति की माकूल वजह है तथा अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अपीलाण्ट को कह रखा कि आपको प्रत्येक पेशी पर आने की आवश्यकता नहीं हैं, जब भी आपकी जरूरत होगी, मैं आपको कॉल कर दूंगा। इस कारण अपीलाण्ट भी अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्येक पेशी पर उपस्थित नहीं हो सकी थीं। इस कारण उक्त वाद को आदेश 9 नियम 9 सीपीसी के जरिये निवेदन कर रेस्टोर किये जाने का निवेदन किया, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र व प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारो को नहीं मानते हुए सिर्फ अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र सारहीन तथ्यहीन, आधारहीन होने से खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय ने स्पष्ट नहीं किया कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र कैसे सारहीन, तथ्यहीन, आधारहीन है, ऐसे कौनसे तथ्य है, आधारहीन, सारहीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिर्फ और सिर्फ अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र खारिज करने की मंशा से ही उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट के अधिवक्ता के न्यायालय में पेशी के दिन उपस्थित नहीं होने का वाजिब कारण था, जो रेस्टोर प्रार्थना पत्र में अपीलाण्ट ने दर्ज किये हैं। विधि का सर्वमान्य सिद्धान्त है कि अधिवक्ता की गलती का दण्ड पक्षकार को नहीं दिया जाना चाहिए। अपीलाण्ट मुकदमा को ईमानदारीपूर्वक लड़ना चाहती हैं, अनेकानेक निर्णयों में यह प्रतिपादित किया है कि जहां पर प्रकरण मैरिट पर मजबूत हों, वहां तकनीकी बिन्दुओं को नहीं देखकर मैरिट को देखा जाना चाहिए। अपीलाण्ट का वाद मेरिट पर मजबूत है। इस कारण अपीलाधीन निर्णय अपास्त करते हुए अपीलाण्ट का वाद पुनः रेस्टोर किया जाना न्यायोचित है। प्रकरण में अपीलाण्ट को सर्वप्रथम अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 24.04.2024 को तब हुई, जब गांव में अप्रार्थीगण ने कहा कि वादीया का वाद रेस्टोर का प्रार्थना पत्र खारिज हो चुका है, तब

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

वादीया ने अधिवक्ता से संपर्क कर प्रकरण की जानकारी चाही, तब अधिवक्ता ने कहा कि आपका प्रार्थना पत्र खारिज हो चुका है, आपको सूचना देना रह गया था, क्योंकि आपके मोबाईल नम्बर डिलीट हो गये थें, इस कारण आपको इसकी सूचना नहीं कर सके। तब अपीलाण्ट ने उसी दिन दिनांक 24.04.2024 को अपीलाधीन निर्णय व अन्य दस्तावेजात की नकलो हेतु आवेदन किया, जहां से उसी दिन प्राप्त होने पर अपीलाण्ट ने अलग अलग विधिक सलाहकारों से सलाह ली, तब विधिक सलाहकारों ने बताया कि पाली में अपील करनी पड़ेगी, जिस पर अपीलाण्ट द्वारा फीस की व्यवस्था कर पाली आकर अधिवक्ता को नकले देकर उपरोक्त अपील तैयार करवाकर पेश की। अपीलाण्ट को अपीलाधीन निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी के बाद कोई देरी नहीं की हैं, न ही अपील पेश करने में कोई लापरवाही की हैं। म्याद हेतु प्रार्थना पत्र अलग से पेश है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा रेस्पोंडेंट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत बंटवाड़ा, खातेदारी हक घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अदम हाजरी, अदम पैरवी खारिज कर दिया गया। जिसकी जानकारी होने पर अपीलांट द्वारा वाद को पुनः रेस्टोर करने हेतु आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.10.2023 द्वारा खारिज कर दिया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील विलंब के साथ प्रस्तुत की गई हैं।
2. विलंबकाल के संबंध में अपीलांट द्वारा मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि प्रकरण में अपीलाण्ट को सर्वप्रथम अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 24.04.2024 को तब हुई, जब गांव में अप्रार्थीगण ने कहा कि वादीया का वाद रेस्टोर का प्रार्थना पत्र खारिज हो चुका है, तब वादीया ने अधिवक्ता से संपर्क कर प्रकरण की जानकारी चाही, तब अधिवक्ता ने कहा कि आपका प्रार्थना पत्र खारिज हो चुका है, आपको सूचना देना रह गया था, क्योंकि आपके मोबाईल नम्बर डिलीट हो गये थें, इस कारण आपको इसकी सूचना नहीं कर सके। तब अपीलाण्ट ने उसी दिन दिनांक 24.04.2024 को अपीलाधीन निर्णय व अन्य दस्तावेजात की नकलो हेतु आवेदन किया, जहां से उसी दिन प्राप्त होने पर

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

अपीलाण्ट ने अलग अलग विधिक सलाहकारों से सलाह ली, तब विधिक सलाहकारों ने बताया कि पाली में अपील करनी पड़ेगी, जिस पर अपीलाण्ट द्वारा फीस की व्यवस्था कर पाली आकर अधिवक्ता को नकले देकर उपरोक्त अपील तैयार करवाकर पेश की। अतः अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।

3. हमारे विनम्र मत में चूंकि प्रकरण में दीर्घ विलंब निहित नहीं हैं तथा अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय की प्रमाणित प्रति दिनांक 24.04.2024 को प्राप्त हुई तथा प्रकरण का निर्णयन कठोर, तकनीकी व प्रक्रियात्मक आधार पर नहीं किया जाकर गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। जिसके लिए उभयपक्ष को सुना जाना आवश्यक है। अतः विलंब सद्भाविक व युक्तियुक्त होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विलंबकाल माफ करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वादपत्र अंतर्गत धारा 53, 88 व 188 व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसमें प्रतिवादीगण की तामिली उपरांत जवाबदावा प्रस्तुत हुआ। दिनांक 16.11.2016 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादपत्र व प्रार्थना पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया। जिसके रेस्टोर हेतु अपीलांट वादिया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र दिनांक 27.08.2018 को प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 218/2018 आदेश दिनांक 05.03.2021 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया। अपीलांट द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में कोई चाराजोही नहीं कर अधीनस्थ न्यायालय में ही आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 37/2022 के रूप में दर्ज कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.10.2023 द्वारा खारिज किया गया।

5. हमारे विनम्र मत में अपीलांट वादिया को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादपत्र के रेस्टोर हेतु उसके द्वारा पूर्व में प्रस्तुत आदेश 9 नियम 9 के प्रार्थना पत्र जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 05.03.2021 द्वारा अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया था, के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में कानूनन रिवीजन दायर की जानी चाहिए थीं। लेकिन वादिया द्वारा इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं कर अधीनस्थ न्यायालय में ही पुनः आदेश 9 नियम 9 सीपीसी का नवीन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया, जो कानूनन अनुमत नहीं हैं। उक्त पश्चातवर्ती प्रार्थना पत्र विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पोषणीय नहीं होने के आधार पर आदेश दिनांक 13.10.2023 द्वारा खारिज किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत कर दी गई। हमारे विनम्र मत में विद्वान विचारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनन कोई त्रुटि कारित नहीं की हैं तथा अपील अपीलांट बखूबी साबित नहीं होती हैं।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में अपील अपीलांट बखूबी साबित नहीं होने तथा अपीलाधीन आदेश में कोई त्रुटि साबित नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner